उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग
पर दिनांक 25-5-1984 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1984 की तृतीय
बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1) श्री श्याम सूरी	आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(2) श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3) श्री माता प्रसाद		सदस्य
(4) श्री नोनिहाल सिंह		सदस्य
(5) श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या
(6) श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(7) श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्री आर०के०सिंह		विशेष आमंत्री

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 24-3-84 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/84	परिषद की दिनांक 24-3-84 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 24-3-84 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/84	परिषद व्दारा दिनांक 24-3-84 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में आवास आयुक्त ने बताया कि इस संदर्भ में उनकी गृह सचिव से बात हुई हैऔर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र दोनों स्थानों की किराये की धनराशि अदा कराने तथा अलीगढ़ में आवास गृहों को खाली कराने की कार्यवाही करेगें। निर्णय लिया गया कि शासन के गृह विभाग से इस मामले का शीघ्र निस्तारण कराया जाये। 2- परिषद की इन्दिरानगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम०ए०/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री जी०सी०गुप्ता के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी करायी जाये।उनकी आख्या के सम्बन्ध में अनेक बार उनसे आवास आयुक्त से बात हुई है परन्तु आश्वासनों के बावजुद भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है। निर्णय हुआ कि अब परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। 3- रानीखेत में परिषद की योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त ने बताया कि उन्होंने परिषद की सदस्या श्रीमती दीपा कौल के साथ चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण किया था। उन्होंने यह भी बताया कि चयनित भूमि जो चिलिया नौला के पास है

1	2	3	4
			रानीखेत को बर्तमान आबादी थल से 4-5 किलोमीटर दूर है अत: बहां योजना चलाये जाने के पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों से सहमति ले लेनी उचित होगा। निर्णय लिया गया कि रानीखेत के लिये पंजीकृत व्यक्तियों से पत्र लिख कर पूछ लिया जाये कि चिलिया नौला के पास परिषद व्दारा चयनित भूमि में यदि आवास निर्मित कराये जायें तो क्या वह लेने को तैयार होंगे या नहीं। पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतिक्रिया ज्ञात करने के बाद उक्त स्थल पर योजना चलाये जाने का निर्णय लिया जाये।
3-बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद् के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर बिचार।		तृतीय/(3)/84	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर बिचार बिमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- बैठक में बताया गया कि वर्ष-1983-84 में 2253 भवन प्रगति पर हैं और निर्माणाधीन भवन बिभिन्न स्तरों पर हैं। निर्णय लिया गया कि इन भवनों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित कराकर उनका आबंटन शीघ्र कराया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इन भवनों के निर्माण की प्रगति की बिस्तृत समीक्षा की जाये और भविष्य में अनुश्रवण समिति के समक्ष ऐसे भवनों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित किये गये लक्ष्य शतप्रतिशत पूरे कराये जायें। अनुश्रवण समिति तथा परिषद की बैठकों में इन भवनों के लिये जो समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जायें उसका बिबरण प्रस्तुत किया जाये ताकि इनकी प्रगति का समय समय पर आकलन हो सके। बैठक में बताया गया कि बित्तीय बर्ष-1984-85 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 12000 भवनों को सम्मिलित करते हुये 20000 भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके बिरुद्ध अप्रैल-1984 तक 3907 भवन प्रगति पर है। निर्णय लिया गया कि उक्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये हडको की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी जायें तथा अधिकाधिक परियोजनायें बनाकर हडको को भेजी जायें ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि बर्ष-1984-85 के लिये निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में आवासों पर निर्माण आरम्भ करने के मासिक लक्ष्य निर्धारित कर लिये जायें और समय-समय पर उक्त लक्ष्य के बिरुद्ध हुई प्रगति का अनुश्रवण किया जाये तथा इस सम्बन्ध में जो भी कठिनाईयां आयें उनका निराकरण किया जाये ताकि बर्ष की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 2- बैठक में बताया गया कि धारा-28 के अन्तर्गत बिस्तृत प्रस्ताव तैयार कराने तथा परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में काफी समय लगता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव को तैयार कर लिये जाते हैं किन्तु उस पर आगे की कार्यवाही तब तक रुकी रहती है जब तक परिषद की अगली बैठक संपन्न न हो जाये। निर्णय लिया गया कि धारा-28 के अन्तर्गत परिषद में जो प्रस्ताव

1	2	3	4
			प्रस्तुत किये जाते हैं उस पर अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार अध्यक्ष/आवास आयुक्त को प्रत्यायुक्त ( ) कर दिया जाये और अग्रिम कार्यवाही की जाये। ऐसे सभी मामलों की एक संहत सूची परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत की जाये। 3- वर्ष-1976-77 व 77-78 के धन विनियोजन एवं बैंक समाधान के सम्बन्ध में परिषद को बताया गया कि निर्णयानुसार जिन बैंकों के विवरण प्राप्त हो गये हैं उनके आधार पर बैंक समाधान का कार्य पूरा कर लिया गया है और 77-78 की बैलेन्सशीट तैयार कर ली गयी है। 4- वर्ष-1977-78 से वर्ष-1982-83 तक के बैलेन्सशीट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर-84 तक उन्हें पूरा कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये और समय समय पर की गयी प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा। 5- लेखा मैनुअल तैयार करने के संदर्भ में आवास आयुक्त द्वारा बताया गया कि यह कार्य ए० आई० एच० ई० ए० को दिया गया है जिन्होंने जुलाई-84 तक मैनुअल तैयार कर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। इस कार्य की प्रगति का समय समय पर अनुश्रवण करने का निर्णय लिया गया।
4- इन्दिरा नगर योजना देहरादून में ऐसे भूखण्डों जिन के आवंटन हुये 11 एवं 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं के निर्माण हेतु समय वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(4)/84		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि पूर्व स्वीकृत अवधि के बाद जब भी समय वृद्धि की जायेगी निम्नवत अनिर्माण शुल्क लिया जायेगा जिन में निर्माण अवधि 3 वर्ष की है।

1- जिनमें निर्माण अवधि 3 वर्ष की है।	2- जिनमें निर्माण अवधि 5 वर्ष की है।	3- अनिर्माण शुल्क
1- प्रथम दो वर्ष	1- प्रथम तीन वर्ष	1- कुछ नहीं
2- छठा वर्ष	2- नौवें वर्ष	2- 2%
3- सातवां वर्ष	3- दसवां वर्ष	3- 5%
4- आठवां वर्ष	4- ग्यारहवां वर्ष	4- 15%
5- नवां वर्ष	5- 12वां वर्ष	5- 30%

1	2	3	4
5- नन्दनपुरा योजना, झांसी के अन्तर्गत 8 नग दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव।	तृतीय/(5)/84		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6- आवास आयुक्त के आदेश सं0-1184/प्रशा0-एक दि0 7-7-83 के द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री बिहारी राय, सहायक अभियन्ता की अपील दि0 7-10-83 के प्रसंग में उप समिति की आख्या पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/84		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपसमिति की संस्तुति को देखते हुये सहायक अभियन्ता तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता दोनों से संयुक्त रूप से परिषद को हुई आर्थिक क्षति की वसूली की जाये।

1	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया गया कि श्री बिहारी राय, सहायक अभियन्ता से मात्र 1000/= की वसूली 100/= मासिक दर से की जाये । शेष रु० 1500/= की धनराशि की वसूली स्टोर के प्रभारी अवर ~~अधिशा~~ अभियन्ता, श्री बब्बा पाण्डे के संदर्भ में तत्कालीन आवास आयुक्त के निर्णय एतदनुसार पुनरीक्षित किये जाते हैं ।
7-	मेरठ योजना सं0-6 के विकास कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(7)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
8-	कटरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बस्ती में दुर्बल आय वर्ग हब्ल-4/79 के 34 भवनों के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(8)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
9-	कन्नौज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, कन्नौज, फर्रुखाबाद के धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(9)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
10-	लक्ष्मी लाल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, झांसी की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(10)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
11-	वाजिदपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, जौनपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव ।	तृतीय/(11)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
12-	बहराइच खास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच ।	तृतीय/(12)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
13-	पोप्स विला (नैनीताल) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 के विकास कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव ।	तृतीय/(13)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
14-	गुरु तेग बहादुर नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद का धारा-31 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(14)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
15-	जार पहाड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, झांसी की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(15)/84	परिषद विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
16-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फतेहपुर के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव ।	तृतीय/(16)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

क्र0प0उ0

17- 8.75% उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र 2001 (अष्ठम श्रंखला) के सशोधन हेतु निक्षेप निधि (सिंकिंग फंड) स्थापित करने के संबंध में ।	तृतीय/(17)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
18- स्व-वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	तृतीय/(18)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
19- हल्द्वानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 हल्द्वानी (क्षेत्रफल 30.08 एकड़ अनुमानित लागत रु0 236.45 लाख)	तृतीय/(19)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
20- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (भाग-2) रामपुर (क्षेत्रफल 2.60 एकड़ अनुमानित लागत 9.444 लाख)	तृतीय/(20)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
21- नजीबाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 एवं हरिद्वार मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 कोटद्वार (गढ़वाल) को परित्याग करने के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(21)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
22- विनियम-46 के अन्तर्गत लाभांश निर्धारण के संदर्भ में ।	तृतीय/(22)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
23- विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के 48 तथा दु0आ0व0 के 16 भवनों के निर्माण एवं योजना के विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में ।	तृतीय/(23)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
24- हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो0 प्रोजेक्ट गोण्डा गिर्द स्कीम गोण्डा (यू0पी0) स्कीम नं0-3046-सी0	तृतीय/(24)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
25- फैजाबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़ ।	तृतीय/(25)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि धारा-28 के प्रकाशन के बाद से जो अनाधिकृत निर्माण हुये हैं उनके सम्बन्ध में परिषद के नियमानुसार कार्यवाही की जाये । योजनाहित में ऐसे निर्माणों को मुक्त किया जाना संभव नहीं है अतः इन्हें अर्जित करके गिराने का निर्णय लिया गया ।

1	2	3	4
26-	लोध्र विला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के 44 तथा द0आ0व0 के 32 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	तृतीय/(26)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
27-	हडको वित्त पोषित चतुर्थ हडको कम्पो0 प्रोजेक्ट इन्दिरा नगर विस्तार सेक्टर 16 तथा 19 लखनऊ यू0पी0 (स्कीम नं0 3035)	तृतीय/(27)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
28-	हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो0 हाउसिंग स्कीम नं0-2 हापुड उ0प्र0 (स्कीम नं0-3045- जी जी0) हडको ।	तृतीय/(28)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
29-	हडको वित्त पोषित पंचम एच0आई0जी0 प्रोजेक्ट, इन्दिरानगर एक्सटेंशन स्कीम सेक्टर- 19 एवं 21 लखनऊ यू0पी0 (स्कीम नं0-3010)	तृतीय/(29)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
30-	हडको वित्त पोषित चतुर्थ हडको कम्पो0 प्रोजेक्ट कुर्सी रोड) सेक्टर-5) लखनऊ) (स्कीम नं0-3109-सी0)	तृतीय/(30)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
31-	हडको वित्त पोषित दशम हडको एम0आई0 जी0 एण्ड एच0आई0जी0 प्रोजेक्ट कुर्सी रोड, सेक्टर-पंचम लखनऊ (स्कीम नं0-3040)	तृतीय/(31)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
32-	हडको वित्त पोषित ग्यारहवीं एम0आई0जी0 एवं एच0आई0जी0 प्रोजेक्ट कुर्सी रोड सेक्टर-6, लखनऊ (स्कीम नं0 3108)	तृतीय/(32)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
33-	हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो0 स्कीम नं0-2 बुलन्दशहर (यू0पी0) स्कीम नं0 3049-सी0 ।	तृतीय/(33)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
34-	हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो0 प्रोजेक्ट नघेटा स्कीम हरदोई (स्कीम नं0-3104-सी0)	तृतीय/(34)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
35-	हडको वित्त पोषित चतुर्थ हडको कम्पो0 हाउसिंग स्कीम नं0 7 मेरठ (यू0पी0) (स्कीम नं0 3098)	तृतीय/(35)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

1	2	3	4
36-	छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहर तहसीलों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।	तृतीय/(36)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
37-	प्रतापगढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(37)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
38-	पिथौरागढ़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 के धारा-20 के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के संबंध में ।	तृतीय/(38)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
39-	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य के लिये अतिरिक्त वृत्त/खण्ड/स्टाफ की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	तृतीय/(39)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
40-	हडको वित्त पोषित कम्पो0प्रोजेक्ट सेक्टर-6 कुर्सी रोड लखनऊ(स्कीम-नं0-3047)	तृतीय/(40)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
41-	हडको वित्त पोषित अष्टम हडको एच0आई0जी0एण्ड एम0आई0जी0 प्रोजेक्ट सेक्टर-4, कुर्सी रोड लखनऊ (यू0पी0)(स्कीम नं0 3044)	तृतीय/(41)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृतिप्रदान की गयी ।
42-	हडको वित्त पोषित नवम हडको एच0 आई0जी0प्रोजेक्ट कुर्सी रोड सेक्टर-5 लखनऊ (यू0पी0)(स्कीम-नं0 3043)	तृतीय/(42)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
43-	हडको वित्त पोषित पंचम, कम्पो0 प्रोजेक्ट कुर्सी रोड(सेक्टर-4) लखनऊ (यू0पी0)(स्कीम नं03042)	तृतीय/(43)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
44-	हडको वित्त पोषित सप्तम एच0 आई0 जी0 प्रोजेक्ट कुर्सी रोड सेक्टर-4, लखनऊ- यू0पी0 (स्कीम-नं0 3041)।	तृतीय/(44)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
45-	हडको वित्त पोषित तृतीय हडको कम्पो0प्रोजेक्ट इन्दिरा नगर एक्सटेंशन स्कीम(सेक्टर-19) लखनऊ(यू0पी0) (स्कीम नं03014)	तृतीय/(45)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
46-	मेरठ योजना सं0-1 में चार मंजिले कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।	तृतीय/(46)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
47-	परिषद योजनाओं में आवंटियों द्वारा भवन निर्माण और अतिरिक्त निर्माण किये जाने पर भवन सामग्री संचय एवं जल व्यय शुल्क लगाये जाने के संबंध में ।	तृतीय/(47)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

1	2	3	4
48-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भवनों/भूखण्डों हेतु पंजीकरण प्रदेशन विनियमावली 1979 के विनियम 46 के अन्तर्गत हस्तान्तरण शुल्क के संबंध में ।	तृतीय/(48)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
49-	पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों से वर्तमान में निर्धारित पंजीकरण धनराशि की मांग ।	तृतीय/(49)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
50-	परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाले व्यक्तियों को प्रदेशन में दी गयी वरीयता समाप्त करने के संबंध में ।	तृतीय/(50)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
51-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 की पूरक योजना (क्षेत्रफल 2.29 एकड़ अनुमानित लागत 5.46लाख)	तृतीय/(51)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
52-	पंजीकरण प्रदेशन विनियमावली के विनियम-12(1)ज एवं विनियम-12(2) में संशोधन ।	तृतीय/(52)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
53-	परिषद में दो उप आवास आयुक्त (सम्पत्ति प्रबन्ध के पद उच्चीकरण के संबंध में ।	तृतीय/(53)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के विनियमों, विनियमावलियों आदि में जहां जहां उप आवास आयुक्त सचिव का पदनाम उल्लिखित है उसके स्थान पर संयुक्त आयुक्त एवं सचिव कर दिया जाये । शासन को आवश्यकतानुसार सूचित किया जाय ।
54-	भर्ती आयु सीमा संशोधन	तृतीय/(54)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
55-	राजाजी पुरम योजना में निर्मित चबूतरों का आबंटन ।	तृतीय/(55)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
56-	मुजफ्फर नगर दिल्ली रेल मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5मुजफ्फर नगर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राकलन ।	तृतीय/(56/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की
57-	मुजफ्फर नगर जानसठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-6 की धारा 28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(57)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया ।
58-	डासना दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग बाईपास पर हिण्डन नदी व हिण्डन कट के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4, गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(58)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
59-	[illegible]		

1	2	3	4
59-	मुजफ्फर नगर भुपा मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं04 की धारा 28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(59)/84	परिषद द्वारा विचार के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
60-	मुजफ्फर नगर दिल्ली मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थानयोजना सं07 की धारा 28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन ।	तृतीय/(60)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
61-	परिषद में सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) के पद पर कार्यरत श्रीमती पुनीती सिंह को 5 अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने के संबंध में।	तृतीय/(61)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त बहुमत से स्वीकृत किया गया ।
62-	परिषद में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में ।	तृतीय/(62)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
63-	सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग हेतु आशुलिपिक का पद सृजित करने के संबंध में।	तृतीय/(63)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
64-	अधीक्षण अभियन्ता के पद हेतु कार्यवाही के संबंध में ।	तृतीय/(64)/84	परिषद द्वारा विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
65-	स्व-वित्त पोषित योजना केअन्तर्गत मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन के संबंध में ।	तृतीय/(65)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
66-	बांदा भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, बांदा के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव ।	तृतीय/(66)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
67-	जसवन्तारी देवी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना पीलीभीत के विकास एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।	तृतीय/(67)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
68-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये तथा परिषद द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना परिषद के संकल्प सं0111/(5)/80 दिनांक 7-6-80 द्वारा लिये निर्णय के अनुसार परिषद में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न प्रकार चिकित्सा अनुमन्य थी ।	तृतीय/(68)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
69-	जनसम्पर्क सहायक के पद का सृजन तथा जन सम्पर्क अनुभाग में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजन के संबंध में ।	तृतीय/(69)/84	काफी परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद कार्यालय में एक जन सम्पर्क सहायक तथा जन सम्पर्क अनुभाग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सृजित कर दिये जायें ।
70-	परिषद के अधीन विभिन्न नगरों में सम्पत्ति प्रबन्धक की नियुक्तियों के संबंध में ।	तृतीय/(70)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
71-	अर्ल्स कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-9 से समाविष्ट भवन को अर्जित करने के संबंध में ।	तृतीय/(71)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
72-	आईजट नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-6, बरेली (क्षेत्रफल 100·00 एकड़, अनुमानित लागत रु 242·50 लाख) ।	तृतीय/(72)?84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
73-	मान चित्रक (सिविल) के पद सृजन के संबंध में ।	तृतीय/(73)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त बहुमत से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
74-	वर्ष 1983-84 में वृक्षारोपण प्रगति आख्या ।	तृतीय/(74)/84	वृक्षारोपण की प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी । परिषद ने निर्णय लिया कि यह भी सूचना एकत्र की जाये कि जो वृक्षारोपण किये गये थे उन में से कितने वृक्ष अब भी जीवित हैं ।
75-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र नवम् 'श्रृंखला' धनराशि रु0110 लाख का जारी किया जाना ।	तृतीय/(75)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
76-	तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में ।	तृतीय/(76)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
77-	कपूरथला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, सीतापुर में समाविष्ट श्रीमती रानी पदमजीत सिंह की भूमि की आपसी बातचीत द्वारा क्रय करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16-5-84 का कार्यवृत्त ।	तृतीय/(77)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
78-	मुख्यालय के लिये दो अंग्रेजी टंकण मशीन क्रय किये जाने के संबंध में ।	तृतीय/(78)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
79-	परिषद के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को स्व स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में ।	तृतीय/(79)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
80-	परिषद की योजनाओं का नामकरण ।	तृतीय/(80)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नामकरण हेतु गठित समिति की संस्तुतियां स्वीकृति की गयी ।
81-	परिषद में श्री सतीश चन्द्र चतुर्वेदी, सहायक आवास आयुक्त का संविलियन ।	तृतीय/(81)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
82-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के अनुग्रह धनराशि/बोनस का भुगतान ।	तृतीय/(82)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 1983-84 में अधिकतम संख्या में हुये भवनों/भूखण्डों के आवंटन तथा परिषद के ~~[illegible]~~ देयों की वसूली में प्राप्त किये गये नये कीर्तिमान को देखते हुये परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 83-84 की अनुग्रह धनराशि का भुगतान शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करके कर दिया जाये ।
83-	परिषद के कार्य खण्डों/निर्माण खण्डों/विकास खण्डों के लेखा अनुभाग में दो सहायक लेखाकारों के पदों का सृजन तथा वर्तमान समय में उक्त लेखा अनुभाग में कार्यरत दो नैत्यिक लिपिकों के पदों का समर्पण ।	तृतीय/(83)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी ।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष